बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
कार्यालय आदेश

आदेश संख्या :– बि0ज0स्व0मि0/पी0 एल0–103/2017– 720 पटना – 15, दिनांक :– 22/12/17

वर्ष 2017–18 में केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत 11 जिलों में फ्लोराईड से प्रभावित 3467 बसावटों में पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु पी0 एल0 खाता में सामान्य मद के जमा राशि से बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन में हस्तान्तरित करने हेतु कुल 271.00 लाख रूपये (दो करोड़ एकहत्तर लाख रूपये) मात्र की राशि की विमुक्ति (प्रथम किस्त) हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

राज्य योजना अन्तर्गत चालू विभिन्न ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं से गृह जल संयोजन हेतु पी0 एल0 खाता में सामान्य मद के कुल जमा राशि 1356.25 लाख रूपये (तेरह करोड़ छप्पन लाख पच्चीस हजार रूपये) मात्र से बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन में हस्तान्तरित करने हेतु कुल 271.00 लाख रूपये (दो करोड़ एकहत्तर लाख रूपये) मात्र की राशि की विमुक्ति निम्न तालिका के अनुसार की जाती है :–

क्रम संख्या	कार्य का नाम	01–04–2017 को पी0 एल0 खाता में उपलब्ध राशि	वर्ष 2017–18 में पी0 एल0 खाता में जमा राशि	पी0 एल0 खाता में कुल जमा राशि	पी0 एल0 खाता में जमा राशि से बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन में हस्तान्तरित करने हेतु प्रस्तावित राशि (प्रथम किस्त)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत 11 जिलों में फ्लोराईड से प्रभावित 3467 बसावटों में पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु।	1356.25	0.00	1356.25	271.00	
	कुल	1356.25	0.00	1356.25	271.00	

2. इस आवंटित राशि को स्वीकृत योजना के प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश के अनुज्ञेय सीमा के ही अधीन वित्त विभाग के पत्रांक – एम0–4–53/2190 दिनांक – 17– 03–08 में दिये गये निदेश के आलोक में ही व्यय की जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्र संख्या – 5537, दिनांक – 24–06–2015 में निहित प्रावधानों के तहत अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना द्वारा की जायेगी, जो सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना से चेक के माध्यम से बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0 एल0 खाता संख्या – 267, विपत्र कोड – L8448001200041 से निकासी की जायेगी। राशि की निकासी कर बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के बैंक खाता में हस्तान्तरित की जायेगी एवं तदोपरान्त कार्य की आवश्यकतानुसार बैंक खाते के माध्यम से संबंधित कार्यपालक अभियन्ता द्वारा स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाएगा।

4. इस पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

D. P. Singh 21.12.2017

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – बि0ज0स्व0मि0/पी0 एल0–103/2017– 720 पटना – 15, दिनांक :– 22/12/17

प्रतिलिपि – महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना / सचिव के आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव –सह– सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (रूपांकण) / मुख्य अभियन्ता (यॉंत्रिक) / परियोजना निदेशक SPMU / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो0) / -

उप निदेशक (मू0) को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित / कार्यपालक अभियन्ता (मो0–I) / कार्यपालक अभियन्ता (मो0–II) / कार्यपालक अभियन्ता (मो0/मू0) / निदेशक, पी0एम0यू0 / निदेशक, सी0सी0डी0यू0 / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकण) / प्रभारी, डाटा सेन्टर (बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु) / आई0 टी0 मैनेजर / प्रशाखा पदाधिकारी – 4 / 6 / कार्यवाह सहायक प्रशाखा–6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

D P Singh 21.12.2017

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
बिहार, पटना।